

महासचिवि द्वारा संयुक्त राष्ट्र के अनशिचति भवषिय की चेतावनी

यह एडिटोरियल 28/02/2024 को 'द हिंदू' में प्रकाशित ["The global order — a fraying around many edges"](#) लेख पर आधारित है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा संगठन के भविष्य के बारे में बढ़ती चत्ति पर की गई टपिकणी के बारे में चरचा की गई है। यह वाष्य संगठन में सुधार की आवश्यकता पर बल देता है और मौजदा वैश्वकिक व्यवस्था की दीरधालकि व्यवहार्यता के बारे में संदेह को रेखांकित करता है।

प्रलिमिस के लिये:

वैश्वीकरण, जलवायु परिवर्तन, G20, G7, संयुक्त राष्ट्र, IMF, विश्व बैंक, BRICS, अफ्रीकी संघ, दक्षणि पूरव एशियाई देशों का संगठन (ASEAN), यूरोपीय संघ, Quad, AUKUS, ग्लोबल साउथ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), UNSC की सदस्यता, UN का शांति परिषन, मानव अधिकारों की सारવभौम घोषणा (UDHR)।

मेनूस के लिये:

संयुक्त राष्ट्र की कार्यपरणाली से संबंधित मुद्दे, UNSC में सधार की ज़रूरत ।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council- UNHRC) के 55वें नियमित सत्र के उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने टपिएणी की कृपा से **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council- UNSC)** के सदस्यों के बीच एकता की कमी ने संभवतः इसके प्राधिकार को कमज़ोर कर दिया है। संगठन में सुधार आवश्यक है, लेकिन मतभेदों को देखते हुए कोई भी सतही प्रविरतन पर्याप्त सदिध नहीं होगा।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC):

- परचियः
 - संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतर-सरकारी निकाय है जो वशिव भर में मानवाधिकारों के प्रसार एवं संरक्षण को प्रबल करने के लिये ज़मिमेदार है।
 - गठनः
 - इसका गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा किया गया था। इसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग नामक पूरववर्ती संस्था को प्रत्यसिथापिति किया।
 - मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय (**Office of the High Commissioner for Human Rights- OHCHR**) UNHRC के सचिवालय के रूप में कारबंध करता है।
 - OHCHR का मुख्यालय जनिवा, स्विटज़रलैंड में है।
 - सदस्यः
 - इसमें 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश शामिल होते हैं जो UNGA द्वारा चुने जाते हैं।
 - परिषद की सदस्यता समतामुक्त भौगोलिक वितरण पर आधारित है।

UN Security Council (UNSC)

The UN Charter vests the primary responsibility for maintaining international peace and security to the UNSC

About

One of the **6 principal organs** of UN; established in **1945** by UN Charter

Headquarters

New York City

First Session

17 January 1946 at Church House, Westminster, **London**

Membership

- 15 members - 5 Permanent Members (**P5**), **10 Non-Permanent Members** elected for **two-year terms** (5 elected each year)
- P5 - the US, the UK, **Russia, France and China**

Presidency

- Rotates every month** among the 15 members
- India's Presidency for year 2022 - December**

Voting Powers

- 1 member = 1 vote
- P5 have **veto power**
- Members of UN sans membership of UNSC participate without vote

UNSC Committees/Resolutions

Terrorism

- Resolution 1373** (Counter Terrorism Committee)
- Resolution 1267** (Da'esh and Al Qaeda Committee)

Non-Proliferation Committee

- Resolution 1540** (against nuclear, chemical and biological weapons)

India and UNSC

- Served **7 times** as non-permanent member; elected for the **8th time** for 2021-22; advocates for a permanent seat
- Arguments for a permanent seat:
 - 43 peacekeeping missions
 - Active participation in formulating Human Rights Declaration (UDHR)
 - India's population, territorial size, GDP, economic potential, cultural diversity, political system etc.



G4

Group of 4 countries (Brazil, Germany, India and Japan) which advocate each other's bids for permanent seats in the UNSC

Uniting for Consensus (UfC) Movement

- Informally known as the **Coffee Club**
- Countries oppose the expansion **Permanent Seats** of UNSC
- Prime movers of the club** - Italy, Spain, Australia, Canada, South Korea, Argentina and Pakistan
- Italy and Spain are opposed to Germany's bid; Pakistan - India's bid; Argentina - Brazil's bid and Australia - Japan's bid

Major Challenges in UNSC

- Usual UN rules don't apply to UNSC deliberations; **no records of meetings kept**
- Powerplay in UNSC; **anachronistic veto powers** of P5
- Deep polarisation** among P5; frequent divisions end up blocking key decisions
- Inadequate representation** of many regions among of the world

■ वभिन्न राष्ट्रों के बीच शक्ति प्रतिवेदनता का प्रबंधन:

- वशिव युद्ध के बाद की यह व्यवस्था संकट में है, जिसकी नींव तब रखी गई थी जब द्वितीय वशिव युद्ध जारी था। यह एक ऐसी संरचना को परलिंग्कॉर्पोरेशन करता है जिसके बारे में मतिर देशों (Allied powers) को अपेक्षा थी कि यह भविष्य के वैश्वकि टकराव पर लगाम रखेगा।
 - यह व्यवस्था अपनी वशिव एजेंसियों, नदियों और कार्यक्रमों के साथ स्वयं संयुक्त राष्ट्र में ही स्थापित है।
 - यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक प्रणाली है जो लगभग तीन चौथाई सदी पहले अस्तित्व में रही वृहत शक्ति प्रतिवेदनता को प्रबंधित करने के लिये बनाई गई थी।
 - उत्तरवर्ती वर्षों में राष्ट्रों की शक्ति एवं समृद्धि इसके मूल हस्ताक्षरकरताओं से और उनके बीच प्रवाहित एवं स्थानान्तरित हुई है तथा राज्यों का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चार गुना से अधिक बढ़ा हो गया है।

■ संप्रभु समानता को कायम रखना:

- संयुक्त राष्ट्र को सामूहिक सुरक्षा के संदिधांत में वशिवास रखने वाले सभी देशों की संप्रभु समानता (Sovereign Equality) को कायम रखते हुए भविष्य के एक और वैश्वकि युद्ध को रोकने के लिये स्थापित किया गया था।
- लेकिन सुरक्षा परिषद के दरवाजे पर संप्रभु समानता लड़खड़ा गई, जहाँ इसके पाँच स्थायी सदस्यों को अन्य संप्रभु सदस्यों की तुलना में अधिक शक्तिप्रदान की गई। ये सभी मतिर देश थे और इनमें दो प्रमुख औपनिवेशिक शक्तियाँ (यूके, फ्रांस) भी शामिल थीं।
- द्विधिरुदीय वशिव व्यवस्था (bipolar world order) के उद्भव ने संप्रभु समानता की जड़ों पर और प्रहार किया।

■ बहुपक्षीय संस्थानों को सुदृढ़ बनाना:

- जुलाई 1944 में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF)** और पुनर्निर्माण एवं विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank for Reconstruction and Development- IBRD) या **वशिव बैंक** की स्थापना की। वर्ष 1947 में टैरफि एवं व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) संपन्न हुआ जो वर्ष 1995 **वशिव व्यापार संगठन (WTO)** द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- इस वित्तीय और व्यापार संबंधी संरचना ने एक साझा अंतर्राष्ट्रीय आरथिक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जो वर्ष 1920 और 1930 के दशक की गलतियों के दुहराव से बचते हुए युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण की योजना बनाने और वैश्वकि व्यापार को उदार बनाने पर लक्षित थी।

■ अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार:

- संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार मानकों के विकास एवं अनुपालन को बढ़ावा देता है। संगठन ने कई संघियाँ, अभिसिमय एवं घोषणाएँ स्थापित की हैं जो मानवाधिकार, मानवीय कानून, पर्यावरण संरक्षण और नियन्त्रित करती हैं।
- UNHRC और अन्य वभिन्न वशिविट एजेंसियों वैश्वकि स्तर पर मानवाधिकारों के दुरुपयोग की निगरानी एवं समाधान के लिये कार्य करती हैं।

■ सतत विकास:

- संयुक्त राष्ट्र वशिव भर में सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका नभिता है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया **सतत विकास के लिये एजेंडा 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development)** गरीबी, असमानता, जलवाया परविरतन एवं पर्यावरणीय क्षमता सहित वभिन्न वैश्वकि चुनौतियों से निपिटने के लिये एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** और **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** जैसी संयुक्त राष्ट्र की विकास एजेंसियाँ सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति विशेषज्ञ के देशों के समर्थन के लिये कार्य करती हैं।

■ मानवीय सहायता:

- संयुक्त राष्ट्र संघर्षों, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों से प्रभावित आबादी को मानवीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका नभिता है।
- यह **संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF)**, **वशिव खाद्य कार्यक्रम (WFP)** और मानवीय कार्यों के समन्वयन के लिये कार्यालय (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs- OCHA) जैसी अपनी एजेंसियों के माध्यम से सहायता (aid) के समन्वयन एवं वितरण में भूमिका नभिता है, शरणारथियों एवं आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को समर्थन प्रदान करता है और पीड़ित एवं कमज़ोर आबादी की रक्षा करने एवं उन्हें राहत प्रदान करने में योगदान करता है।

21वीं सदी में बहुपक्षवाद/बहुपक्षीयता (Multilateralism) के समक्ष चुनौतियाँ:

■ बहुपक्षवाद में सुधार करना एक कठनि कार्य:

- बहुपक्षवाद में सुधार करना वभिन्न कारणों से एक कठनि कार्य है क्योंकि यह वैश्वकि शक्तिराजनीति में गहराई से उलझा हुआ है। इसके परणामस्वरूप, बहुपक्षीय संस्थानों और ढाँचों में सुधार की कोई भी कार्रवाई स्वतः एक ऐसे कदम में बदल जाती है जो शक्तिसंत्ता के वर्तमान वितरण में बदलाव की मांग करती है।
- वैश्वकि व्यवस्था में शक्ति वितरण में संशोधन करना न तो आसान है और न ही सामान्य। इसके अलावा, यदि इसे सतरक्ता से नहीं किया गया तो इसके प्रतिकूल प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं।

■ यथास्थितिवादी शक्तियों के बीच आम सहमति का आभाव:

- यथास्थितिवादी शक्तियों (Status Quo Powers) बहुपक्षीय सुधारों को एक 'ज़ीरो-सम गेम' के रूप में देखती हैं। उदाहरण के लिये, ब्रेटन वुड्स प्रणाली के संदर्भ में, अमेरिका और यूरोप का मानना था कि सुधार से उनका प्रभाव और प्रभुत्व कम हो जाएगा।
- इससे इन संस्थानों में सरवसमतया मतदान से सुधार के बारे में निरिण्य लेना कठनि हो जाता है। बहुपक्षवाद उभरती 'मलटीप्लेक्स वर्ल्ड ऑर्डर' की वास्तविकताओं के विपरीत प्रतीत होता है। उभरता हुई वशिव व्यवस्था अधिक बहुधर्मीय और बहुकेंद्रीय नज़र आती है।

■ चीनी और अमेरिकी मूल्यों का टकराव:

- चीन और अमेरिका के बीच टकराव पछिले 70 वर्षों के बहुपक्षवाद के अंत का प्रतीक है। यह संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक और भूकंपीय बदलाव को चहिनति करता है। अमेरिका को एक नई बहुआयामी संस्था का नेतृत्व करने में कठनिई का सम्मान करना पड़ रहा है क्योंकि चीन

का पुनः उभार प्रौद्योगिकी, नवाचार और व्यापार संतुलन पर आधारति है जो पश्चामी सभ्यता के मूल में रहे मुक्त-बाज़ार उदारवाद में वैश्विक भरोसे की गरिवट के वर्तमान समय में अमेरिकी सेन्य श्रेष्ठता को संतुलित करता है।

■ बहुपक्षवाद के समक्ष विद्यमान वभिन्न संकट:

- बहुपक्षीय सहयोग को वर्तमान में कई संकटों का सामना करना पड़ रहा है। सर्वप्रथम, लगातार गतिरोध के कारण बहुपक्षवाद ने बहुमत का भरोसा खो दिया है। दूसरा, बहुपक्षवाद उपयोगिता संकट (utility crisis) का सामना कर रहा है, जहाँ शक्तिशाली सदस्य-राज्य इसे अब अपने लिये उपयोगी नहीं मानते हैं।
 - इसके अलावा, महाशक्तियों के बीच बढ़ते तनाव, विविधीकरण (de-globalisation), लोकलुभावनवादी राष्ट्रवाद (populist nationalism), महामारी के उभार और जलवायु आपात स्थितियों ने कठनियों को और बढ़ा दिया है।
 - इस गतिरोध ने वैश्व के देशों को बाई-लैटरल, प्लूरी-लैटरल और मनी-लैटरल जैसे अन्य समूहों में आगे बढ़ने के लिये प्रेरित किया है, जो फरि वैश्विक राजनीतिके और अधिकि धरुवीकरण में योगदान करता है।
- अवधारणाओं, पद्धतियों और संस्थानों के संदर्भ में बहुपक्षवाद के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ:
 - बहुपक्षवाद की अवधारणाएँ वैश्विक आयाम को समस्याओं—जनिहैं राष्ट्रीय सीमाओं पर प्रबंधित करना पड़ता है, के कारण अस्थिर होती जा रही हैं। इसके उदाहरणों में राष्ट्रीय संपर्भुता बनाम मानवाधिकार संबंधी चित्तिएँ या अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय नियन्यन, प्रयावरण और स्वास्थ्य समस्याएँ शामिल हैं।
 - वारता के तरीके और तकनीक आधुनिक समाज की जटिलियों को संबोधित नहीं कर पाते हैं।
 - संगठन, योगदान, वारता और नियन्यन के संदर्भ में आईटी ओपन सॉफ्टवेयर मोड जैसे उपाय आधुनिक चुनौतियों के लिये बेहतर अनुकूल हो सकते हैं।
 - वैज्ञानिक और तकनीकी समुदायों से वारता का अनुभव उन चुनौतियों से निपटने के तरीके सीखने में सहायक जानकारी प्रदान कर सकता है जो पूरी तरह से राजनीतिक नहीं है।
 - क्षेत्रीय वृष्टिक्रिया का उपयोग व्यवहार में सतत विकास जैसी अंतरनहिति रूप से 'ट्रांसवर्सल' अवधारणाओं के विपरीत है।
 - मौजूदा संस्थाएँ क्षेत्रवाद (regionalism) की बढ़ती भूमिका और शक्तिके बदलते संतुलन को प्रतिबिम्बित नहीं करती हैं। सुरक्षा परिषद में सुधार पर पछिले कुछ दशकों से चर्चा चल रही है और हालायि प्रगति के बावजूद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वैश्व बैंक में उभरती हुई अस्थव्यवस्थाओं एवं अफ्रीकी अस्थव्यवस्थाओं के अपराधपत मतदान अधिकार की समस्या बनी हुई है।
 - **ब्रकिस (BRICS)** जैसे नए वैश्विक खलिङ्गियों के तेजी से उभरने का वारता और अंतरराष्ट्रीय शासन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। उभरती शक्तियों वभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गठबंधन और साझा वृष्टिक्रिया का नियमन कर रही हैं। अफ्रीकी देशों को यह एहसास हो रहा है कि वैश्व स्वर में अभवियक्ति से अपने हतियों की बेहतर रक्षा कर सकते हैं।

UNSC के कार्यकरण से संबद्ध वभिन्न मुद्दे:

■ औपनिवेशिक मानसकिता:

- संयुक्त राष्ट्र ने प्रमुख सहयोगी शक्तियों को स्थायी वीटो शक्तिप्रदान की। **द्वितीय विश्व युद्ध** के बाद जब अमेरिका ने सामाजिक-आरथिक विकास की अनदेखी करते हुए व्यापार, पूँजी और प्रौद्योगिकी निर्भरता को बढ़ावा देने वाली इन वैश्विक संस्थाओं को थोपना शुरू किया तो नए स्वतंत्र राज्यों से कोई प्रामरश नहीं किया गया। यह ऐसे समय में घटति हुआ जब उपनिवेशवाद के उन्मूलन की बढ़ती मांग और वैश्विक संघर्ष के प्रभाव शाही शक्तियों के प्रभुत्व को समाप्त कर रहे थे।

■ कुछ देशों के पास असंगत शक्तियाँ:

- पुरानी दुनिया ही नई संस्थाओं की शक्तिसंरचनाओं पर नियंत्रण बनाये रही, जैसा कि 'बैंक' और 'कोष' के प्रशासन में परलिक्षणति होता है। वैश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा एक अमेरिकी नागरकि होता है जबकि IMF के प्रमुख को मनोनीत करने में यूरोप (पश्चामी यूरोप) वर्चस्व रखता है।

○ मतदान अधिकार:

- कुछ सीमित सुधारों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य-राज्यों के मतदान अधिकार वस्तुतः गतिहीन बने हुए हैं। वर्तमान में इस संस्था में मूल ब्रकिस सदस्यों के लिये मतदान अधिकार का प्रतिशत 2.22, 2.59, 2.63, 6.08 और 0.63 है।
- अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका 16.5 प्रतिशत मतदान अधिकार रखता है, जबकि यूके (4.03), जर्मनी (5.31) और G-7 के अन्य सदस्य देशों (जो अमेरिका के साथ मलिकर मतदान करते हैं) के प्रतिशत को भी जाँचें तो यह 30 प्रतिशत तक पहुँच जाता है।

○ निधियों का संवरितरण:

- **विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights)** आवंटित करने और अधिकांश सुधार लागू करने के लिये 85% बहुमत वोट की आवश्यकता होती है, जो प्रभावी रूप से अमेरिका को एक शक्तिशाली वीटो सौंपता है।
- IMF वित्तीय स्थरिता को बढ़ावा देने, सलाह देने और वित्तीय कठनिई झेल रहे देशों को नियमान्त्रित शर्तों पर धन प्रदान करने के रूप में वैश्विक स्थरिता बनाए रखता है।

■ विकासशील देशों के हतियों के विरुद्ध:

- अंतरराष्ट्रीय संधियों (जनिहैं अब कानूनी ढाँचा प्राप्त है) पर आधारति संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने वैश्विक संबंधों को सुवधाजनक बनाया, हालाँकि यह मूल संयुक्त राष्ट्र चार्टर हस्ताक्षरकरताओं के पक्ष में छुका हुआ है। उपनिवेशवाद के अंत, **शीत युद्ध** और सोवियत संघ के विघ्नन ने इस ढाँचे को चुनौती दी।
- विकासशील देश (पूर्व-उपनिविशें सहति) सुरक्षा परिषद के वीटो और ब्रेटन वुड्स की मतदान संरचनाओं के विरुद्ध संघर्षरत रहे हैं। उल्लेखनीय रूप से चीन ने कसी एक विषय में नियम नियमाता के रूप में प्रभाव का इस्तेमाल किया है तो दूसरे विषय में नियम उल्लंघनकरता के रूप में।

■ वभिन्न समसामयिक खामियाँ:

- **कोविड-19** के दौरान लोगों के लिये, वस्तुओं के लिये और टीकों के लिये सीमाएँ बंद कर दी गई थीं, जिससे व्यापक सहयोग पर आधारति साझा वैश्विक समूदधिका वादा कमज़ोर पड़ा।

- यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने एक प्रमुख शक्ति के पाखंड को उजागर कर दिया, जिससे वैश्वकि नियमों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, गाजा में जारी संघर्ष ने वकिसति और वकिसशील देशों के बीच के वभिजन को उजागर किया है।
 - यह संघर्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुछ स्थायी सदस्यों के संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के मूल सदिधांतों, वशिष्ठ रूप से मानवाधिकारों और नरसंहार अभसिमय (genocide convention) के संबंध में, के प्रतिप्रतिबिद्धता चुनौती दे रहा है।

UNSC में सुधार के लिये सुझाव:

■ G-20 की भूमिका:

- **G-20** को सर्वप्रथम बहुपक्षीय सुधार का उचित आख्यान स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। यह एक सहभागिता समूह का गठन कर सकता है जो आख्यान को वैश्वकि चर्चा में सबसे आगे लाने के लिये समरपति हो।
 - भारत को समूह के आगामी अध्यक्षों बराजील और दक्षिण अफ्रीका से आग्रह करना चाहिये कि **UNSC में बहुपक्षीय सुधारों** को अपने अध्यक्षीय कार्यकाल की प्राथमिकता में शामिल करना चाहिये।
- G-20 को बहुपक्षीय सहयोग का समरथन करते हुए भी बहुपक्षवाद के एक नए रूप के रूप में मनी-लैटेरल समूहों को प्रतिसाहित करना जारी रखना चाहिये और उन्हें बहु-हतिधारक भागीदारी में बदलने का प्रयास करना चाहिये।
 - वशिष्ठ रूप से 'ग्लोबल कॉमन्स' के शासन से संबंधित कषेतरों में मुद्वा-आधारित मनी-लैटेरल नेटवर्क का निरिमाण करना प्रतिसिप्रदाधी गठबंधनों को रोकने में सहायक होगा जहाँ अन्य अभिक्रता अपने लाभ के लिये वही खेल खेलते हैं, जिससे वशिष्ठ व्यवस्था और अधिक खंडित हो जाती है।

■ व्यापक सुधारों की आवश्यकता:

- वशिष्ठ को एक सर्वव्यापी एवं व्यापक सुधार प्रक्रया की आवश्यकता है जिसमें सुरक्षा परिषद की सदस्यता की स्थायी एवं गैर-स्थायी श्रेणियों में वसितार, वीटो का प्रश्न, महासभा एवं सुरक्षा परिषद के बीच संबंध और कार्य पद्धति में सुधार शामिल हो।
 - भारत ने इस बात पर बल दिया है कि **UNGA** की प्रधानता एवं वैधता इसकी सदस्यता की समावेशी प्रकृति और इसके सभी घटकों की संप्रभु समानता के सदिधांत से तय होगी।

■ भारत की अपेक्षित भूमिका:

- वैश्वकि शून्यता, सापेक्ष शक्ति में बदलाव और भारत का अपना सामरथ्य उसे **NAM-Plus** के रूप में एक सौमय बहुपक्षवाद को व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करता है जो वशिष्ठ के एक बड़े हस्तिसे के साथ प्रतिधिवनति होता है और ब्राकिस एवं **G-7** दोनों को एक साथ लाता है।
- भारत लंबे समय से बराजील, जर्मनी और जापान के साथ UNSC में सुधार की मांग करता रहा है और इस बात पर बल देता है कि वह स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र के उच्च पटल पर जगह पाने का सही हक्कदार है।
 - **G-4 देश** (बराजील, जर्मनी, जापान और भारत) UNSC में स्थायी सीटों के लिये एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं।

■ UNSC सुधारों में एशियाई सदी को समझना:

- एशियाई सदी (Asian Century) को उत्तर-औपनिवेशिकि संप्रभुता को नष्टप्रभावी करते हुए शांतपूर्ण सह-असततिव के संदरभ में परभिष्ठति किया जाना चाहिये। दूसरों के आंतरकि मामलों में हस्तक्षेप न करना संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के उदय के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण सबक है।
 - पूरव अमेरिकी राष्ट्रपति जमिनी कार्टर ने ठीक ही कहा था कि जहाँ अमेरिका ने सैन्य व्यय पर 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खरच किये, वही चीन ने युद्ध पर एक पैसा भी बरबाद नहीं किया।

■ उभरती चतिआओं को समायोजित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन की आवश्यकता:

- परिषद के आकार, सदस्यों के लिये शर्तों, प्रस्तावों को मंजूरी देने की सीमा या स्थायी सदस्यों की शक्तियों में बदलाव के लिये चार्टर में संशोधन की आवश्यकता है।
 - ये संशोधन तब लागू होंगे जब उन्हें UNGA में समर्थन के दो-तहिई मत प्राप्त होंगे और महासभा के दो-तहिई सदस्य देश (जिनमें UNSC के पाँच स्थायी सदस्य देश भी शामिल हैं) उनकी पुष्टि (ratify) करेंगे।
- ऐसी बाधाओं के रहते हुए संशोधन करना अत्यंत कठिन है। वर्ष 1945 में अंगीकरण के बाद से संयुक्त राष्ट्र चार्टर में केवल पाँच बार संशोधन किया गया है, जिनमें सबसे हालिया परविरतन वर्ष 1973 में लागू हुआ था।
 - इन संशोधनों ने चार अतिरिक्त नियमिति सदस्यों को जोड़कर सुरक्षा परिषद का आकार 11 से 15 सदस्यों तक बढ़ा दिया। वर्तमान वास्तविकताओं का प्रतिविति करने के लिये इसी तरह के संशोधनों पर विचार करने की आवश्यकता है।

Key UN reforms

● 1997	Kofi Annan announces his plan for United Nations reform with two reform packages: "Track One" and "Track Two"
● 2004	Two models proposed for expanding the Security Council
● 2005	Kofi Annan presents his most comprehensive reform and policy agenda with his report "In Larger Freedom" The Peacebuilding Commission (PBC) is established
● 2006	The Human Rights Council replaces the former United Nations Commission
● 2007-2016	Reforms continue during Ban Ki-moon's term with the launch of the 2030 Agenda for Sustainable Development and adoption of the Paris Climate Agreement
● 2017-2020	Reforms envisioned by UN Secretary-General Antonio Guterres have been ongoing which focus on the UN's peace and security pillar

निष्कर्षः

- संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियों पर आधारित वर्तमान वैश्वकि व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक और वैश्वकि संघर्ष को रोकने के लक्ष्य से स्थापित की गई थी, लेकिन अब इसे महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के भीतर शक्ति की गतिशीलता, विश्व रूप से UNSC के P5 की वीटो शक्ति, एक पुरानी पड़ चुकी संरचना को परलिक्षण करती है जो बदलते वैश्वकि परदृश्य को संबोधित नहीं करती है।
- चूंकि विश्व नई चुनौतियों (जैसे कि COVID-19 महामारी और बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्ष) से जूझ रहा है, वर्तमान वैश्वकि संरचना का पुनर्मूल्यांकन करने और इसमें संभावित सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह समसामयिक वैश्वकि मुद्दों को संबोधित करने में परासंगकि एवं प्रभावशील बना रहे।

अभ्यास प्रश्नः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की वर्तमान संरचना और इसके समक्ष विद्यमान चुनौतियों के आलोक में इसमें सुधार की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये। इस संदर्भ में आप किसी सुधारों का प्रस्ताव करेंगे?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न प्रश्न

प्रश्नः

प्रश्न. “संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति(यूनाईटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमटी)” के संदर्भ में नमिनलिखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2022)

- यह संयुक्त राष्ट्र (UN) सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके प्रयोक्षण के अधीन काम करती है।
- पारंपरिक रूप से प्रत्यय मार्च, जून और सत्रिंबर में इसकी बैठक होती है।
- यह महासभा को अनुमोदन हेतु रपिरेट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी UN सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 3
- केवल 1 और 3
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 2

उत्तर: (A)

प्रश्न. UN की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और शेष 10 सदस्यों का चुनाव किसी अवधि के लिये महासभा द्वारा किया जाता है? (2009)

- (a) 1 वर्ष
- (b) 2 वर्ष
- (c) 3 वर्ष
- (d) 5 वर्ष

उत्तर: (b)

??/?/?/?:

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र आरथिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) के प्रमुख कार्य क्या हैं? इससे साथ संलग्न विभिन्न प्रकार्यात्मक आयोगों को स्पष्ट कीजिये। (2017)

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट प्राप्त करने में भारत के सामने आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिये। (2015)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/secretary-general-warns-of-un-s-uncertain-future>